

2022/177

प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021'

राजस्थान सरकार


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थानब.स.च.प. (वि.स.पा.प.क.)

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी4.6.21..... व भू.अ. निरीक्षक स.ह.स.वा.ली... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार, अनूपगढ़ की अनुशंका के आधार पर राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुशरण में ग्राम ...6.11.21..... जिला की जमावंदी सम्वत् 2073-74.. में खाता संख्या ...47... (न.प.ा.)... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है-


क्र.सं.	ग्राम पंचायत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	गोधर्ववासी	47	अखेन्द्र सिंह s/o रत्नसिंह	अखेन्द्र सिंह s/o रत्न सिंह (व्येष पञ्चायत)


(प्रियंका चौधरिया)
उपखण्ड अधिकारी,
अनूपगढ़
दिनांक- 9/5/22

क्रमांक:- 500

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, अनूपगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ...अखेन्द्र सिंह s/o रत्नसिंह... को सूचनार्थ।


(प्रियंका चौधरिया)
उपखण्ड अधिकारी,
अनूपगढ़

